न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी –श्री हेमन्त स्वरूप माथुर ,आर ए एस

_अपील संख्या– एल आर ए/75/2015

उनवान

1. छोटू सिंह आत्मज माधू सिंह राजपूत निवासी ग्राम जालरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. भवानी सिंह आत्मज बालू सिंह राजपूत
3. रघुनाथ सिंह आत्मज रेवत सिंह राजपूत,
4. कालू सिंह आत्मज प्रताप सिंह राजपूत
5. सवाई सिंह आत्मज खुमान सिंह राजपूत,
6. राम सिंह आत्मज कानसिंह राजपूत
7. समन्दर सिंह आत्मज किशोर सिंह राजपूत
8. शम्भू सिंह आत्मज डूंगर सिंह राजपूत
9. गंगासिंह आत्मज भॅवर सिंह राजपूत
10. रामसिंह आत्मज अमर सिंह राजपूत
11. दौलत सिंह आत्मज अमर सिंह राजपूत
12. सवाईसिंह आत्मज मोडसिंह राजपूत
13. नारायण सिंह आत्मज मोड सिंह राजपूत
14. गिरवर सिंह आत्मज भूर सिंह राजपूत
15. ईश्वर सिंह आत्मज सावंत सिंह राजपूत
16. जीवन सिंह आत्मज मोती सिंह राजपूत
17. गोकल सिंह आत्मज मोहन सिंह राजपूत
18. किशनदास आत्मज सुरदास साधु
19. सोहनदास आत्मज छोगादास साधु
20. हीरादास आत्मज सूरदास साधु निवासियान जालरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
अपील विरूद्व जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण
संख्या एफ 12–3(1) (12) आरए/13/2049
निर्णय दिनांक 26.9.2013

अभिभाषक : 1. श्री बी एल गुर्जर , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 4.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा प्रकरण संख्या एफ 12–3(1) (12) आरए/13/2049 आदेश दिनांक 26.9.2013 द्वारा उपखण्ड अधिकारी माण्डल से प्राप्त प्रस्ताव एवं अभिशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम जालरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा (राजस्थान) स्थित आराजी नम्बर 467 मीन रकबा 0.3200 हे0 किस्म बंजड बिलानाम काबिलकाश्त भूमि को श्मशान के लिए सेट–अपार्ट (आरक्षित) की । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर अपीलार्थीगण को नहीं हो सकी । चूकि ग्रामवासियान ने दिनांक 5.10.2012 को उपखण्ड अधिकारी साहब माण्डल व तहसीलदार साहब माण्डल के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 467 मीन स्कूल के पास है इस कारण इस भूमि को शमशान के लिए आरक्षित नहीं करें । जिस पर ग्रामवासियान को आश्वासन दिया गया कि ग्राम वासियान को सुनकर ही आगे की कार्यवाही की जायेगी । लेकिन अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व ग्रामवासियान को नहीं सुना गया । दिनांक 26.5.2015 को ग्राम जालरिया के कुछ असामाजिक लोगों ने अपीलाण्ट्स को धमकी दी कि उन्होनें आराजी नम्बर 467 मीन को शमशान के लिए आरक्षित करवा ली है। इस पर अपीलार्थीगण ने अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।उनका यह भी निवेदन है कि ग्राम पंचायत जिंदरास के सरपंच द्वारा दिनांक 10.9.2012 को तहसीलदार साहब माण्डल को पत्र लिखकर ग्राम जालरिया की आराजी नम्बर 467 मी0 रकबा 0.32 है0 को शमशान के लिए आरक्षित करने का निवेदन किया।इसकी जानकारी ग्रामवासियों को हुई तो ग्रामवासियान ने दिनांक 5.10.2012 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी साहब एवं तहसीलदार साहब माण्डल के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आ.नं.467मीन स्कूल के पास है इस कारण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

इस भूमि को शमशान के लिए आरक्षित नहीं करें। ग्राम जालरिया के पास ही आराजी नम्बर 585 रकबा 5 बीघा के लगभग बिलानाम भूमि खाली पडी है इसे शमशान के लिए आरक्षित कर दी जावे । जिस पर ग्रामवासियान को आश्वासन दिया गया कि ग्रामवासियान को सुनकर ही आगे की कार्यवाही की जायेगी। इसके बाद दिनांक 18.2.2013 को जालरिया के कुछ व्यक्तियों द्वारा ग्रामवासियों के फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठे लगाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान में एक प्रार्थना पत्र पेश कर आराजी नम्बर 467 मीन को शमशान के लिए आरक्षित करने का निवेदन किया । जिस पर पटवार हल्का से रिपोर्ट मांगी गई । तो पटवार हल्का ने सरपंच साहब के दबाव में आकर झूठी रिपोर्ट कर दी की ग्रामवासियों को आराजी नम्बर 467 मन को शमशान के लिए आरक्षित करने में कोई आपत्ति नहीं है तथा इस रिपोर्ट को आधार मानकर श्रीमान् जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा दिनांक 26.9.2013 को अपीलाधीन आदेश पारित कर आराजी नम्बर 467 मीन रकबा 0.32 हे0 को शमशान के लिए आरक्षित किया । ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा गौर नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्का का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 467 मीन ग्राम जालरिया में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय व उसके खेल मैदान के पास स्थित है । विद्यालय के पास शमशान के लिए भूमि आरक्षित करना सरासर गलत है। विद्यालय के पास शमशान होने से छोटे बच्चो में काफी डर बना रहेगा । वैसे भी शमशान को लेकर लोगों में तरह–तरह के डर पैदा होते रहते हैं। स्कूल के पास ही शमशान होने से अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे एवं बच्चे भी डर के कारण स्कूल नहीं जोयेंगे। पटवार हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में आरक्षित की जाने वाली भूमि की दूरी आबादी में महज 150 मीटर व विद्यालय भवन से महज 400 फीट बताई है । इसी कारण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 5.10.2012 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी साहब माण्डल व तहसीलदार साहब माण्डल के यहॉ आपत्ति पेश की थी। लेकिन जिला कलक्टर महोदय ने इस पर कोई ध्यान नहीं देकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि ग्राम पंचायत जिंदरास के सरपंच द्वारा दिनांक 10.9.2012 को तहसीलदार साहब माण्डल को ग्राम जालरिया की आराजी नम्बर 467 मीन रकबा 0.32 हे0 को शमशान के लिए आरक्षित करने का पत्र कुछ लोगां के दबाव में आकर लिखा गया है। सरपंच साहब ने ऐसा पत्र लिखने से पहले ग्रामवासियों से कोई सलाह नहीं ली व न ही ग्राम सभा की मिटिंग बुलाई गई। दिनांक 18.2.2013 को जाललिया के कुछ व्यक्तियों द्वारा ग्रामवासियों क ओर से जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया वह प्रार्थना पत्र ग्रामवासियों के फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठे लगाकर पेश किया गया है । इसकी जानकारी ग्रामवासियों को नहीं थी। प्रार्थना पत्र में जिन लोगों के हस्ताक्षर हैं उसमें से काफी लोग इस अपील में अपीलाण्ट बनकर आये हैं । अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि ग्रामवासियान जालरिया ने दिनांक 5.10.2012 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी साहब एवं तहसीलदार साहब माण्डल के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 467 मीन स्कूल के पास है इस कारण इस भूमि को शमशान के लिए आरक्षित नहीं करें। ग्राम जालरिया के पास ही आराजी नम्बर 585 रकबा 5 बीघा के लगभग बिलानाम भूमि खाली पडी है इसे शमशान के लिए आरक्षित कर दी जावे । जिस पर ग्रामवासियान को आश्वासन दिया गया कि ग्रामवासियान को सुनकर ही आगे की कार्यवाही की जायेगी। जिस पर जिला कलक्टर भीलवाडाने ध्यान नहीं दिया एवं ग्रामवासियान को सुनवाई का अवसर भी नही दिया । इसलिए अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावे।

8. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे साथ ही निवेदन किया कि जिला कलक्टर महोदय, भीलवाडा ने उपखण्ड अधिकारी, माण्डल से प्राप्त प्रस्ताव एवं अभिशंषा के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

10. अपीलार्थीगण का निवेदन है कि ग्रामवासियान द्वारा वादग्रस्त आराजी को शमशान के लिए आरक्षित नहीं किये जाने बाबत उपखण्ड अधिकारी माण्डल एवं तहसीलदार माण्डल को लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था। वादग्रस्त आराजी नम्बर 467 मीन रकबा 0.32 हे0 भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास स्थित है । जिससे स्कूल के बच्चो में डर रहेगा । सरपंच द्वारा भी कुछ लोगों के दबाव में आकर वादग्रस्त भूमि को शमशान के लिए आरक्षित किये जाने की सहमति दी गई है।

11. अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी माण्डल से प्रस्ताव एवं अभिशंषा प्राप्त होने पर जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा पारित किया गया है । उक्त आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की धारा 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है ।

12. तहसीलदार, माण्डल द्वारा वादग्रस्त आराजी को सार्वजनिक (शमशान) प्रयोजनार्थ आरक्षित कराने हेतु प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, माण्डल को प्रस्तुत किया गया था। जिसके साथ में पटवारी हल्का जिन्द्रास द्वारा तैयार रिपोर्ट, मय राजस्व रेकार्ड एवं चैक लिस्ट की पूर्ति सहित प्रस्ताव प्रस्तुत हुई। उक्त प्रयोजन हेतु भूमि आरक्षित नहीं करने बाबत शिकायत होने से जांच रिपोर्ट भी प्राप्त की गई। ग्राम जालरिया में प्रस्तावित भूमि में शमशान कायमी बाबत ग्रामवासी एवं ग्राम पंचायत जिन्द्रास को कोई आपत्ति नहीं होने से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

13. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ग्राम पंचायत जिन्द्रास, पंचायत समिति आसीन्द द्वारा जारी पत्र दिनांक 10.9. 2012 संलग्न है। जिसमें वादग्रस्त आराजी नम्बर 467 मीन रकबा 0.32 हे0 को शमशान के काम में आना बताते हुए रेकार्ड में शमशान कायम कराने का निवेदन किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दिनांक 7.7.2012 की बैठक के उपरान्तं जारी किया गया है। बैठक की कार्यवाही के रजिस्टर की फोटो प्रति भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। प्रशासन गांवों के संग अभियान दिनांक 8.2.2013 में ग्रामवासियान द्वारा भी वादग्रस्त भूमि को शमशान हेतु आवंटित किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसका अवलोकन कर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ शमशान हेतु वादग्रस्त आराजी को जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा आरक्षित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। जो कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स यह साबित करने में असफल रहे हैं कि जिला कलेक्टर, भीलवाडा द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 में प्रदत्त शक्तियों से परे जाकर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पारित किया जाकर वादग्रस्त आराजी को शमशान हेतु आरक्षित किया गया हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

14. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.9.2013 को यथावत रखा जाता हैं।

15. निर्णय आज दिनांक 4.6.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

5/6/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा